राजस्थान-सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या- 178/22 रा0भू0

1- श्री गमेरलाल S/o श्री जवाहरमल जाट निवासी- कापड़िया तहसील- माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री भानुदास S/o जगन्नाथदास बैरागी निवासी कापड़िया तहसील- माण्डल [वगैरा]
(सम्बंधित ग्रा0पं0 सालरा)

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111--128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 10.01.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......कापड़िया...........पटवार हल्का......लाम्बाखा.........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं...1066/460, 1085/1434... कुल किता......02.........रकबा...1.1382... हेक्टयर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.12.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम...कापड़िया...पटवार हल्का...लाम्बाखा...तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं....1066/460, 1085/434... कुल किता..........02...........रकबा......1.1382.....हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक ....तेलवा........को.........500/-......... [illegible] फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये [illegible] स्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:05:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

अमरलाल बनाम नानुदास (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111/128 नं० 178 सन 2022

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.12.22	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 10.1.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
10/1/23	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के पश्चात भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:05:01 IST
Reason: SelfAttested